

*further to amend the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994 (Act No. 11 of 1994).*

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)  
*Chief Minister.*

(SHARAD KUMAR LAGWAL)  
*Secretary (Law).*

SHIMLA :

THE....., 2023

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 21 सितम्बर, 2023

संख्या वि०स०-विधायन-विधेयक/1-53/2023.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 13) जो आज दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/—

सचिव,  
हि० प्र० विधान सभा।

2023 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन  
विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3 का संशोधन।

## हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2023 है।

2. **धारा 3 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की धारा 3 में, —

(i) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यांत्रिक यान या छकड़ा के माध्यम से सड़क द्वारा वहन किए गए अनुसूची-1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रकार के माल पर अनुसूची-1 के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर कर उद्गृहीत किया जाएगा और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा।”।

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 हिमाचल प्रदेश राज्य में सड़क द्वारा वहन किए जाने वाले कतिपय माल पर कर के उद्ग्रहण के लिए और सड़क द्वारा वहन किए जाने वाले माल पर अधिरोपित कतिपय करों को विधिमान्य करने और उससे संबद्ध कतिपय अन्य मामलों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था। वर्तमानतः कतिपय माल पर 250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए भिन्न दर पर तथा 250 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए भिन्न दर पर कर उद्गृहीत किया जा रहा है। पणधारियों के लिए कराधान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, दूरी खण्ड का लोप किया जा रहा है ताकि तय की गई दूरी को ध्यान में न रखते हुए कर समान दरों पर उद्गृहीत किया जा सके।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)  
मुख्य मन्त्री।

शिमला:

तारीख:....., 2023

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध, यदि अधिनियमित किए जाते हैं, तो राजकोष को लगभग 2.35 करोड़ की राजस्व हानि अन्तर्वलित होगी।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें  
(नस्ति संख्या: ई. एक्स. एन.-ए(3)-3/2023)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2023 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन  
विधेयक, 2023

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)  
मुख्य मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख:....., 2023

BILL NO. 13 OF 2023

**THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2023**

## ARRANGEMENT OF CLAUSES

*Clauses:*

1. Short title .
2. Amendment of section 3.

BILL NO. 13 OF 2023

**THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2023**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

## BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**— This Act may be called the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Act, 2023.

**2. Amendment of section 3.**—In section 3 of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999;

- (i) in sub-section (1), for the words “except railways and airways”, the words “at the rates as specified in column (3) of Schedule-I” shall be substituted.
- (ii) sub-section (2) shall be omitted.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 was enacted to provide for levy of a tax on certain goods carried by road in the State of Himachal Pradesh and to validate certain taxes imposed on goods carried by road and for certain other matters

connected therewith. Presently, the tax on certain goods is being levied at different rate for a distance upto 250 kilometers and different for a distance beyond 250 kilometers. In order to simplify the taxation procedure for the stakeholders, the distance clause is being omitted so that the tax may be levied on uniform rates without taking into account the distance covered.

**(SUKHVINDER SINGH SUKHU)**  
*Chief Minister.*

SHIMLA:

THE....., 2023

---

### **FINANCIAL MEMORANDUM**

The provisions of the Bill, if enacted, shall involve revenue loss of approximately Rs. 2.35 crore to the State Exchequer.

---

### **MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

—Nil—

---

### **RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA**

(File No. EXN-A(3)-3/2023)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Bill, 2023, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and the consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

---

### **THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2023**

A

BILL